सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 284 राँची, बुधवार, 20 वैशाख, 1938 (श०)

10 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

20 मार्च, 2017

कृपया पढ़े:-

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-8690, दिनांक 22 दिसम्बर, 2010
2. उपायुक्त, लातेहार का पत्रांक-1518/गो०, दिनांक 23 सितम्बर, 2010
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3283, दिनांक 18 जून, 2011, संकल्प संख्या-4792, दिनांक 3 जून, 2013 एवं पत्रांक-5575, दिनांक 29 जून, 2016
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-571, दिनांक 2 दिसम्बर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-72/2014 का.-3263-- श्री अजय कुमार जामुदा (कोटि क्रमांक 362/03, गृह जिला- सिंहभूम), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार, सम्प्रति-सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-8690, दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 के माध्यम से उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1518/गो०, दिनांक 23 सितम्बर, 2010 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है । श्री जामुदा के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में निम्न आरोप प्रतिवेदित है:-

आरोप सं०-1- श्री अजय कुमार जामुदा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका का पत्रांक-659, दिनांक 17 जुलाई, 2010 वित्तीय वर्ष 2010-11 द्वारा 235 इंदिरा आवास लाभुकों की स्वीकृति प्रदान की गयी है । स्वीकृति प्रदान करते समय इंदिरा आवास लाभुकों के चयन में योजना की मार्गदर्शिका के निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही तथा अनियमितता बरती गयी है । प्राप्त सूची के क्रमांक- 45, 51, एवं 55 के लाभुकों को पूर्व में इंदिरा आवास दिया जा चुका है तथा सूची क्रमांक-47, 56 एवं 94 का पक्का मकान है ।

आरोप सं०-2- मनिका प्रखण्ड में आवंटित इंदिरा आवास के लाभुकों के जाँच के दौरान पाया गया कि लाभुकों का चयन न तो ग्राम सभा में पारित सूची से किया गया है, न ही संबंधित पंचायत सेवक से अनुशंसा/मंतव्य प्राप्त किया गया है ।

आरोप सं०-3- मनिका प्रखण्ड के पंचायत दुन्दु के पंचायत सेवक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सूची क्रमांक-68 के लाभुक यशोदा देवी, पति-भीखू यादव इंदिरा आवास पाने के योग्य नहीं है। ये सुखी सम्पन्न परिवार है ।

आरोप सं०-4- मनिका प्रखण्ड के पंचायत मटलौंग के पंचायत सेवक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इंदिरा आवास लाभुकों की सूची क्रमांक-61 एवं 197 के लाभुक का बड़ा पक्का मकान है, योग्य नहीं है ।

आरोप सं०-5- सिंजो पंचायत के पंचायत सेवक द्वारा सूची जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि क्रमांक- 203, 211 एवं 70 के लाभुक को पूर्व में इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है । क्रमांक-99 के लाभुक का पक्का मकान है, योग्य नहीं है ।

आरोप सं०-6- पंचायत जुंगूर के पंचायत सेवक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सूची क्रमांक-148 के लाभुक देवंती देवी, पति-बालगोविन्द सिंह, ग्राम-जुंगूर में नहीं रहते है । इंदिरा आवास नहीं दिया जा सकता है ।

आरोप सं०-7- पंचायत नामुदाग के पंचायत सेवक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सूची क्रमांक- 3, 24, 80, 172, 174 एवं 176 कुल 6 लाभुकों को पूर्व में इंदिरा आवास मिल चुका है तथा सूची क्रमांक-1 लाभुक सुखी सम्पन्न परिवार के है तथा घर भी बड़ा है । योग्य नहीं है ।

आरोप सं०-8- पंचायत नामुदाग, बरवैयाकला, बंदुआ के 11 लाभुक के सूची क्रमांक- 9, 24, 79, 80, 171, 173, 174, 175, 177, 178 एवं 179 का बी०पी०एल० संख्या गलत है एवं सूची क्रमांक-1, 3, 8, 64, 65, 77, 78, 118, 121, 169 एवं 174 कुल 11 के बी०पी०एल० स्कोर गलत है ।

आरोप सं०-9- मनिका, दुन्दू, मटलौंग, सिंजो, जुंगूर एवं नामुदाग पंचायत के पंचायत सेवक के द्वारा आयोग्य पाये गये लाभुकों की सूची जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी है।

आरोप सं०-10- श्री जामुदा द्वारा प्रखण्ड स्तर पर पारदर्शिता पूर्वक सरकारी कार्यो का निष्पादन नहीं करते है, जिसका मुख्य कारण प्रखण्ड स्तर पर दो व्यक्ति (1) श्री प्रमोद कुमार साहु, (2) श्री प्रमोद भारती उनके एजेंट/बिचैलिया के रूप में कार्य करते है । प्रखण्ड स्तर पर इंदिरा आवास योजना, महात्मा गाँधी नरेगा की योजनाएँ बिना दलालों के सहमति के अनुशंसा नहीं किया जाता है ।

आरोप सं०-11- श्री विसम्भर राम तथा उसकी पत्नी श्रीमती कबुतरी देवी के रोजगार कार्ड सं०- 126236 को जाँच के क्रम में माँगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया गया । इससे यह सत्यापित नहीं हो सका कि जॉब कार्ड में कितने दिनों का कार्य दिवस प्रविष्टि की गयी है । वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार के द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 2007-08 में वन प्रमंडल के द्वारा 72 योजना स्वीकृत थी तथा उनके प्रमंडल में योजना सं०- 157/05-06 की कोई भी योजना में कार्य नहीं कराया गया है । वर्ष 2007-08 में विसम्भर राम एवं उनकी पत्नी कबुतरी देवी के द्वारा मंधनिया तालाब निर्माण योजना में कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि मंधनिया तालाब निर्माण के अन्तर्गत सृजित मस्टर रॉल में कही भी 126236 रोजगार कार्ड संख्या की प्रविष्टि नहीं की गयी है। इस प्रकार, यह आरोप अभिलेख एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित नहीं हो सका। इस प्रकार इनके द्वारा रोजगार कार्ड में फर्जी प्रवृष्टि करायी गयी है ।

आरोप सं०-12- उप विकास आयुक्त, लातेहार के द्वारा इस योजना में उपलब्ध कराये गये मस्टर रॉलों की जाँची की गयी तथा उपलब्ध कराये गये मस्टर रॉलों में मस्टर रॉल सं०- 254497, 244519, 244513, 244518 और 254524 नहीं पाये गये । वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मनिका के द्वारा इस योजना में कराये गये, मस्टर रॉलों का MIS प्रविष्टि से भी जाँच की गयी और MIS में

उपरोक्त वर्णित मस्टर रॉलों की संख्या नहीं पायी गयी । इस प्रकार इस आरोप की सत्यता प्रमाणित नहीं होता । इस प्रकार फर्जी मस्टर रॉल बनाया गया ।

आरोप सं०-13- मंधनिया तालाब निर्माण के तहत 88 मजदूरों की सूची उपलब्ध करायी गयी। स्थल जाँच के क्रम में सूची में दर्शाये गये सभी पुरूष/महिला श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाये । वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वाणिक प्रमंडल, लातेहार के द्वारा उपलब्ध कराया गया मस्टर रॉल एवं बैंक को भेजे गये । Advice Slip के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सभी व्यक्तियों का भुगतान हेतु । Advice Slip के आधार पर चेक पोस्ट ऑफिस बकोरिया शाखा को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके आधार पर पोस्टमास्टर के द्वारा निकासी फारम के माध्यम से भुगतान भी किया गया है। मुख्य रूप से, इसी भुगतान के विरूद्ध परिवाद पत्र प्राप्त है, जिसमें भुगतान को फर्जी होने की बात कही गयी है । इस जिले के मनरेगा में भुगतान हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त डाक निरीक्षक, लातेहार के द्वारा पोस्ट ऑफिस के क्रियाकलापों एवं डाकपाल के द्वारा किये गये भुगतान की जाँच करायी गयी । जाँच में 17 मजूदरों का हस्ताक्षर उपलब्ध निकासी फारम के हस्ताक्षर से नहीं मिले ।

आरोप सं०-14- श्री जामुदा द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा योजना में वर्ष 2009-10 में 87 योजनाओं में नगद भुगतान कराया गया, जो बैंक/डाकघर के खाता से मजदूरी भुगतान करने का निदेश दिया गया है । इस संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापांक-346/गो०, दिनांक 7 अप्रैल, 2010 के द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अभीतक अप्राप्त है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-3283, दिनांक 18 जून, 2011 द्वारा श्री जामुदा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । अनके बार स्मारित करने के बावजूद भी श्री जामुदा का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या-4792, दिनांक 3 जून, 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री सिन्हा के पत्रांक-571, दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 द्वारा श्री जामुदा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री जामुदा द्वारा समर्पित बचाव बयान निम्नवत् है:-

आरोप सं०-1 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका का पत्रांक-569, दिनांक 27 जुलाई, 2010 द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए कुल 235 व्यक्ति का इंदिरा आवास के लिए जिला कार्यालय को भेजा गया था । सूची इंदिरा आवास के मार्गदर्शिका के निर्देश के अनुसार ही बनाया गया था । लाभुकों के चयन में किसी तरह की अनियमितता नहीं की गई

थी । अनुमंडल पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन संबंधित पंचायत सेवक के प्रतिवेदन पर आधारित है न कि उन्होंने स्वयं स्थानीय जाँच किया है । इनका यह भी कहना है कि लाभुकों की संख्या बहुत अधिक तथा भिन्न-भिन्न ग्राम में स्थित रहने के कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के लिए अकेले सत्यापन करना संभव नहीं था, जिस कारण अधीनस्त कर्मचारियों से सत्यापन कराया गया था । ऐसी स्थिति में एकाध चूक हो सकती है । इंदिरा आवास की सूची ग्राम सभा से अनुमोदित होने के पश्चात् स्वीकृति के लिए भेजा जाता है ।

आरोप सं०-2 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इंदिरा आवास की स्वीकृति ग्रामसभा से पारित सूची के आधार पर किया जाता है । बिना ग्राम सभा से पारित सूची को स्वीकृति नहीं की जाती है । ग्राम सभा में पंचायत सेवक स्वयं उपस्थित रहता है और उनके द्वारा ग्राम सभा के कार्यवाही को संधारित किया जाता है । इनका यह भी कहना है कि किस पंचायत, ग्राम अथवा लाभुक से संबंधित है, से स्पष्ट नहीं है जबकि मटलौंगा, सिंजो, जुगूर, मनिका आदि पंचायत के लाभुकों का पंचायत सेवक से अनुशंसा प्राप्त है ।

आरोप सं०-3 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि अगर यशोदा देवी इंदिरा आवास पाने के योग्य नहीं है, तो उसका नाम लाभुकों की सूची से क्यों नहीं हटाया गया । बी०पी०एल० सूची से उसका नाम रद्द करना चाहिए । इनका यह भी कहना है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने के कारण सूची में नाम दर्ज है जब तक सूची में नाम दर्ज है अयोग्य नहीं कहा जा सकता है ।

आरोप सं०-4 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि उक्त क्रमांक में अंकित लाभुक का बड़ा पक्का मकान नहीं है । पंचायत सेवक ने अपने प्रतिवेदन में बड़ा मकान अंकित किया है न कि पक्का मकान ।

आरोप सं०-5 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इंदिरा आवास के लाभुकों का चयन ग्राम सभा से पारित किया गया है । सूची के आधार पर स्वीकृति के लिए भेजा गया है । पंचायत सेवक स्वयं ग्राम सभा के कार्यवाही में शामिल रहता है । इनका यह भी कहना है कि अगर उक्त क्रमांक में अंकित लाभुक योग्य नहीं है, तो किस आधार पर बी०पी०एल० सूची में उक्त व्यक्तियों का नाम अंकित है । अंकित सूची में जब तक किसी व्यक्ति का नाम दर्ज है, अयोग्य नहीं माना जा सकता है ।

आरोप सं०-6 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि लाभुक देवंती देवी, पति-बालगोविन्द सिंह जुंगुर का निवासी हैं । इनका यह भी कहना है कि सामान्यतः ग्रामीण मजदूरी के लिए अन्य स्थान में पलायन करते हैं, कुछ समय के बाद वापस मूल स्थान में लौट आते हैं, इससे

इंकार नहीं किया जा सकता है । सूची क्रमांक-148 के लाभुक देवंती देवी अगर जुंगुर का नहीं है, तो ग्राम के बी०पी०एल० सूची क्रमांक-10686/8 में अंकित नहीं रहना चाहिए था ।

आरोप सं०-7 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि ग्राम सभा से पारित सूची एवं पंचायत सेवक के अनुशंसा पर सूची स्वीकृति के लिए भेजी गयी थी । इनका यह भी कहना है कि अगर उक्त क्रमांक में अंकित लाभुक योग्य नहीं है, तो किस आधार पर बी०पी०एल० सूची में उक्त व्यक्तियों का नाम अंकित किया गया था । अंकित सूची में जब तक किसी व्यक्ति का नाम दर्ज रहता है, अयोग्य नहीं माना जा सकता है ।

आरोप सं०-8 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि अगर बी०पी०एल० एवं स्कोर गलत है, तो इसके लिए इन्हें उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है । इनका यह भी कहना है कि बी०पी०एल० सूची ग्राम सभा से पारित होने के बाद अनुमोदित किया जाता है । अगर उक्त क्रमांक में अंकित लाभुक योग्य नहीं है, तो किस आधार पर बी०पी०एल० सूची में उक्त व्यक्तियों का नाम अंकित किया गया था । अंकित सूची में जब तक किसी व्यक्ति का नाम दर्ज रहता है, अयोग्य नहीं माना जा सकता है ।

आरोप सं०-9 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि पंचायत सेवक का प्रतिवेदन संदेहास्पद है, क्योंकि पंचायत सेवक लाभुकों एवं बी०पी०एल० सूची स्वयं तैयार कर ग्राम सभा से पारित करवाता है । इनका यह भी कहना है कि बी०पी०एल० सूची ग्राम सभा से पारित होने के बाद अनुमोदित किया जाता है । अगर उक्त क्रमांक में अंकित लाभुक योग्य नहीं है, तो किस आधार पर बी०पी०एल० सूची में उक्त व्यक्तियों का नाम अंकित किया गया था । अंकित सूची में जब तक किसी व्यक्ति का नाम दर्ज रहता है, अयोग्य नहीं माना जा सकता है ।

आरोप सं०-10 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि यह सत्य नहीं है । इनका यह भी कहना है कि जिला के सभी प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तर के कार्यों का देखभाल एवं निगरानी के लिए जिला के वरीय पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाता है । प्रतिनियुक्त पदाधिकारी ने कभी इस तरह का टिप्पणी नहीं की है कि बिचैलियों के बिना काम नहीं होता है । जहाँ तक दलाल एवं बिचैलिया का संबंध है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है ।

आरोप सं०-11 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि वन विभाग से संबंधित है, जिसका संधारण प्रखण्ड कार्यालय में नहीं होता है । मनरेगा योजना के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों को कार्ड के माध्यम में कार्य उपलब्ध कराई जाती है । रोजगार सेवक मजदूरों को काम की

प्रविष्टि रोजगार कार्ड में करता है । रोजगार सेवक द्वारा हर प्रविष्टि का सत्यापन करना संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में सिर्फ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है ।

आरोप सं०-12 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि वन विभाग से संबंधित है, जिसका संधारण प्रखण्ड कार्यालय में नहीं होता है । इनका यह भी कहना है कि वन विभाग द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत लिए गए योजनाओं की सूची उपलब्ध नहीं कराई है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन-कौन योजना वन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है । मस्टर रॉल में प्रविष्टि किया गया है अथवा नहीं । मजदूरों को मजदूरी का भुगतान हुआ है अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं होता है । योजना वन विभाग का है लेकिन कार्य मनरेगा का है, इसलिए पर्यवेक्षण अपेक्षित है । लेकिन वन विभाग से योजना की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है, ऐसी स्थिति में योजना का पर्यवेक्षण करना संभव प्रतीत नहीं होता है ।

आरोप सं०-13 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि वन विभाग से संबंधित है, जिसका संधारण प्रखण्ड कार्यालय में नहीं होता है । इनका यह भी कहना है कि वन विभाग द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत लिए गए योजनाओं की सूची उपलब्ध नहीं कराई है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन-कौन योजना वन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है । मस्टर रॉल में प्रविष्टि किया गया है अथवा नहीं । मजदूरों को मजदूरी का भुगतान हुआ है अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं होता है । योजना वन विभाग का है लेकिन कार्य मनरेगा का है, इसलिए पर्यवेक्षण अपेक्षित है । लेकिन वन विभाग से योजना की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है, ऐसी स्थिति में योजना का पर्यवेक्षण करना संभव प्रतीत नहीं होता है ।

आरोप सं०-14 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इंदिरा आवास के लिए उपायुक्त, लातेहार द्वारा स्वीकृति की गई है लेकिन इंदिरा आवास का कार्य आरंभ नहीं किया गया है और न ही इसके लिए कोई राशि व्यय कराई गयी है । जिला स्तर से किसी तरह का स्पष्टीकरण और न ही कोई बचाव का अवसर दिया गया है । सीधे तौर पर आरोप पत्र तैयार कर निलंबन की अनुशंसा की गई है । ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार द्वारा कुल 37 योजनाओं में कनीय अभियंता सरयु राम एवं संजय कुमार द्वारा नगद भुगतान किया गया था, जिसकी सूचना प्रखण्ड एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों को नहीं दी गयी थी । इनका यह भी कहना है कि स्पष्टीकरण संबंधित ज्ञापांक प्राप्त नहीं है ।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री जामुदा के विरूद्ध आरोप संख्या-1 से 9 तक को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है जबकि आरोप संख्या-10, 11, 12, 13 एवं 14 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

श्री जामुदा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती 5 वर्षों के लिए करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया । श्री जामुदा के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-5575, दिनांक 29 जून, 2016 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया ।

श्री जामुदा के पत्र, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया:-

आरोप सं०-1 पर जवाब- इंदिरा आवास के लाभुकों के चयन में किसी तरह का लापरवाही अथवा अनियमितता नहीं की गई है । लाभुक का चयन बी०पी०एल० सूची से किया गया, जिसका अनुमोदन पूर्व में जिला स्तर से किया गया है । उपायुक्त, लातेहार द्वारा अपने मंतव्य में बताया गया है कि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस संबंध में कहना है कि आरोप पत्र गठित करने के पूर्व कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया है ।

आरोप सं०-2 पर जवाब- लाभुकों का चयन अनुमोदित बी०पी०एल० सूची से किया गया । सूची से बाहर का लाभुक का चयन नहीं किया गया है ।

आरोप सं०-3 एवं 4 पर जवाब- क्रमांक- 68, 61 एवं 197 में अंकित व्यक्ति अगर योग्य नहीं है तो बी०पी०एल० सूची दर्ज कैसे है । सूची मेरे कार्यावधि के पूर्व अनुमोदित है ।

आरोप सं०-5 पर जवाब- इंदिरा आवास योजना दिशा निर्देश अध्याय-II के अनुसार ग्राम पंचायतों की सूची में क्रमानुसार बी०पी०एल० सूची से परिवार का चयन कर सकती है । ग्राम सभा का चयन अंतिम होता है कि जब तक किसी परिवार का नाम सूची में दर्ज रहता है, किसी को अयोग्य नहीं माना जा सकता है ।

आरोप सं०-6 पर जवाब- अगर लाभुक ग्राम का नहीं है तो ग्राम के बी०पी०एल० सूची क्रमांक-10686/8 में नाम किस कारण अंकित है । जबकि लाभुक के मृत्यु अथवा अन्य कोई कारण दर्ज नहीं है ।

आरोप सं०-7 पर जवाब- क्रम सं०-5 में उत्तर दिया गया है कि जब तक किसी परिवार का नाम बी०पी०एल० सूची में दर्ज रहता है, किसी को अयोग्य नहीं माना जा सकता है ।

आरोप सं०-8 पर जवाब- इस संबंध में कहना है कि बी०पी०एल० सूची में संख्या अथवा स्कोर लगत है, तो इसे सुधारा जा सकता है, लेकिन उत्तरदायी मानना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

आरोप सं०-9 पर जवाब- ग्राम पंचायत सेवक लाभुक की सूची तैयार कर स्वयं ग्राम सभा से पारित करवाता है । ऐसी स्थिति में अंकित आरोप सही प्रतीत नहीं होता है ।

श्री जामुदा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गई, समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा ग्राम सभा एवं पचायत सेवक पर सारी जिम्मेवारी डालने का प्रयास किया गया है । श्री जामुदा कोई ऐसा नया तथ्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सके, जो प्रमाणित पाये गये आरोप को अप्रमाणित कर सके ।

समीक्षोपरांत श्री जामुदा के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत प्रस्तावित दण्ड के अधिरोपण हेतु विभागीय पत्रांक-10907, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक- 410, दिनांक 15 फरवरी, 2017 द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

अतः, श्री अजय कुमार जामुदा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन से 5 वर्षों के लिए 10 प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 284--50